# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

**(श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)**

**मिशल संख्या 237/2013/वाद** **निर्णय दिनांक :–05.04.19**

उनवानी दावा :

1. जगदीश पुत्र खाना जाति बैरवा निवासी नासिरदा तह0 देवली जिला टोंक (राज.)
2/1 मीरा पत्नि सीताराम जाति बैरवा निवासी नासिरदा तह0 देवली जिला टोंक (राज.)
2/2 मोन्या पुत्री सीताराम
2/3 टोन्या पुत्री सीताराम
2/4 विष्ण पुत्र सीताराम
2/5 बरमा पुत्री सीताराम
2/6 नानू लाल पुत्र सीताराम
3. रसाल बेवा रामदयाल जाति बैरवा निवासी नासिरदा तह0 देवली जिला टोंक (राज.)
4. रामप्यारी पुत्री खाना
5. सायर पुत्री खाना जाति बैरवा निवासी नासिरदा तह0 देवली जिला टोंक (राज.)

–वादी –

बनाम

1. नाथू पुत्र रामदेव जाति बैरवा निवासी नासिरदा तह0 देवली जिला टोंक (राज.)
2. शांति पुत्री रामदेव
3. मांगी पत्नि रामदेव जाति बैरवा निवासी नासिरदा तह0 देवली जिला टोंक (राज.)
4. तहसीलदार देवली जिला टोंक

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति
श्री रमेश चन्द शर्मा
अधिवक्ता वादीगण

एक पक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 1 ता 3
पेरोकार सरकार
प्रतिवादीगण संख्या 4

**दावा उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा**

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पूर्वज काना पुत्र भैरू एवं देवी पुत्र गीला जाति बैरवा निवासी नासिरदा के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की अराजी साबिक खसरा नम्बर 89 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम नासिरदा तहसील देवली में स्थित थी। देवली तहसील में हुये सेटलमेंट के दोरान साबिक खसरा नम्बर 891 के नये खसरा नम्बर 4231 रकबा 1.28 है0, खसरा नम्बर 4232 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 4233 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 4234 रकबा 1.78 है0, खसरा नम्बर 4235 रकबा 1.00 है0, खसरा नम्बर 4236 रकबा 1.24 है0 बनाये गये जिनमे से आराजी खसरा नम्बर 4231, 4232, 4233, 4234, 4235 को तो वादीगण की खातेदारी में लगा दिया गया एवं शेष बचा खसरा नम्बर 4236 रकबा 1.24 है0 भूमि को प्रतिवादीगण 1 ता 3 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया। ग्राम नासिरदा से हाल में नया राजस्व ग्राम बन जाने से नये खसरा नम्बर 4231 से 4468, 4232 से 4469, 4233 से 4470, 4234 से 4471, 4235 से 4472 व 4236 से 4473 बनाये गये है। सेटलमेंट कर्मचारियो व अधिकारियो ने हाल खसरा नम्बर 4468, 4469, 4470 व 4471 व 4472 को तो वादीगण की खातेदारी मे अंकित कर दिया तथा खसरा नम्बर 4473 रकबा 1.24 है0 भूमि को प्रतिवादीगण 1 ता 3 के नाम खातेदारी मे अंकित कर दिया गया जो पूर्ण रूप से गलत है। वादीगण का उक्त सम्पूर्ण

आराजीयात पर कब्जा है तथा कई वर्षो से काबिज काश्त चले आ रहे है। इस प्रकार सेटलमेंट कर्मचारियो एवं अधिकारियो ने हाल खसरा नम्बर 4468,4469, 4470, 4471, 4472 को वादीगण की खातेदारी में अंकित कर दिया तथा खसरा नम्बर 4473 रकबा 1.24 है0 भूमि को गलती से प्रतिवादीगण 1 ता 3 के नाम अंकित कर दिया गया जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाकर वादीगण की खातेदारी में अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है जिसके लिये यह वाद श्रीमान के न्यायलय मे पेश है। प्रतिवादीगण 1 ता 3 के नाम आराजी भूमि खसरा नम्बरं 4473 रकबा 1.24 है0 गलती से लग जाने के कारण अब उनके मन मे बेइमानी आ गई है इस कारण प्रतिवादीगण 1 ता 3 उक्त भूमि को बेचने पर आमादा है तथा उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल करना चाहते है इस कारण प्रतिवादीगण 1 ता 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से हमेशा के लिये पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे उक्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 4473 को किसी अन्य को रहन, दान, बेचान, वसीयत आदि नही करें तथा वादीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग मे किसी तरह की मजामहत नही करें तथा प्रतिवादी नं. 4 को भी पाबंद किया जावे कि वे उक्त भूमि के रहन, दान, बेचान, वसीयत आदि का पंजीयन नही करें। वाद कारण आज से 5 दिन पूर्व उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने उक्त विवादित भूमि को बेचने की धमकी दी तब से लगातार उत्पन्न हो रहा है। विवादग्रस्त आराजी एवं पक्षकारान श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद अ0धारा 92ए, 88, 188 राज0 टी0 एक्ट के तहत पूर्ण कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। अतः वादीगण की अधियाचना है कि :– वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी भूमि खसरा नम्बर 4473 रकबा 1.24 है0 वाके ग्राम नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुरू॰ राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्ती की जावे। वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण 1 ता 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे स्वंय जरिये एजेंट, नोकर चाकर के वाद वर्णित आराजी भमि ख0नं. 4473 रकबा 1.24 है0 को किसी अन्य के रहन, दान, बेचान, वसीयत नही करें तथा वादीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे किसी तरह की मजामहत नही करें तथा प्रतिवादी नं. 4 को भी पाबंद किया जावे कि वे उक्त भूमि के रहन, दान, बेचान, वसीयत आदि का पंजीयन नही करें तथा हमेशा हमेशा के लिये पाबंद रहे। खर्चा मुकदमा दिलाया जावे तथा अन्य सहायता जो वादीगण के हित मे लाभप्रद हो, प्रदान करायी जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण 1 ता 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

तहसीलदार देवली के जवाब अनुसार वाद पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए बताया कि मुताबिक रिकॉर्ड जमाबंदी साबिका वादीगण के पिता काना पुत्र भैरू व देवी पुत्र गीला जाति चमार के नाम ख.नं. 890/11 व 891/46 रकबा साढे नौ बीघा 9 बीघा 10 बिस्वा व ख.नं. 890/12 व 891/48 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा तथा 891/49 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा नाम खातेदारी मे अंकित था। साबिका ख.नं. 891 के नये बन्दोबस्त के नम्बर 4231 से 4236 तक दर्ज है जो मिलान क्षैत्रफल की नकल से साबित है। परन्तु वादी का यह कथन मुताबिक रिकॉर्ड साबित नही है कि वादी को मात्र साबिक ख.नं. 891 से ही 23 बीघा 16 बिस्वा भूमि आवंटन हुई हो। क्योकि मुताबिक जमाबंदी उक्त रकबे में साबिका ख.नं. 890/11 व 890/12 मुताबिक जमाबंदी शामिल होना साबित है। नये राजस्व ग्राम के परिवर्ति नम्बर बनने के कारण स्वीकार है। परन्तु बन्दोबस्त के ख. नं. 4236 के नये राजस्व ग्राम के ख.नं. 4473 रकबा 1.24 है0 के लिये वादी द्वारा स्वंय का अधिकार साबित करने के लिये कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नही किया है। प्रतिवादीगण का जवाब लिया जाना आवश्यक है।

पत्रावली में तनकियात कायम की गई। अधिवक्ता वादी साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 से पी. डब्ल्यू–3 पेश पेश किये । प्रदर्श दस्तावेज करवाये । प्रकरण बहस में नियत किया गया।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात मिलान क्षैत्रफल संम्वत 2046–2065 प्रदर्श–1, जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम नासिरदा प्रदर्श–2, जमाबन्दी संम्वत 2069–72 ग्राम नासिरदा प्रदर्श–3, जमाबन्दी सम्वत 2065–68 ग्राम नासिरदा प्रदर्श–4, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–5, मिलान क्षैत्रफल जमाबन्दी सम्वत 2069–72 प्रदर्श–6, जमाबन्दी संम्वत 2065–68 ग्राम नासिरदा प्रदर्श–7, जमाबन्दी संम्वत 2065–68 ग्राम नासिरदा प्रदर्श–8, जमाबन्दी संम्वत 2069–72 ग्राम नासिरदा प्रदर्श–9, जमाबन्दी संम्वत 2065–68 ग्राम नासिरदा प्रदर्श–10, पेश किये है, जिनका अवलोकन किया।

बहस सुनी गई। अधि वादी ने वाद में अंकित तथ्यो को दोहराया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। वादीगण के अनुसार काना पुत्र भैंरू व देवी पुत्र गीला जाति बैरवा निवासी नासिरदा के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी साबिक ख. नं. 891 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा थी जिसको साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने इसके लिए प्रदर्श–2 जमाबन्दी पेश की है जिसमे ख. नं. 890/11 व 891/46 का शामिल में कुल रकबा 9 बीघा 10 बीस्वा तथा 890/12 व 891/48 का कुल रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा तथा 891/46 का रकबा 5 बीघा व 5 बिस्वा है। इन दोनो खसरा नम्बरो से मिलकर 23 बीघा 16 बिस्वा होता है, जिसको साबित करने में वादीगण असफल रहे। वादीगण के अनुसार प्रदर्श–1 मिलान क्षैत्रफल में ख. नं. 891 मिन से ख. नं. 4231 रकबा 1.28 है0, ख. नं. 4232 रकबा 1.30 है0, ख. नं. 4233 रकबा 0.09 है0, ख. नं. 4234 रकबा 1728 है0, ख. नं. 4235 रकबा 1.00 है0, ख. नं. 4236 रकबा 1.24 है0 बनना दर्शाया है। नासिरदा से नया राजस्व ग्राम बनने से नये ख. नं. 4231 से 4468, 4232 से 4469, 4233 से 4470, 4234 से 4471, 4235 से 4472 व , 4236 से 4473 बनाये गये है, प्रदर्श–6। वादी के अनुसार उक्त ख. नं 4236 से 4473 रकबा 1.24 है0 जो कि वादीगण की खातेदारी भूमि थी, को प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी लगा दी गई जो कि गलत है , इसको साबित भी वादी को ही करना था , इसके लिए वादी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया कि पूर्व में यह भूमि वादीगण के पूर्वजो की थी और वर्तमान में भी वादीगण का कब्जाकाश्त है। अतः दस्तावेजो से साबित नहीं होने के आधार पर यह वाद खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली